Mail Today/Urgent

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

कमांक :– प.25(2)आयु./2022 जयपुर, दिनांक : 01 APR 2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के विन्दु संख्या 8 अन्तर्गत राज्य के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी एवं आईपीडी सुविधायें समस्त प्रदेशवासियों को पूर्णतः निःशुल्क करने की घोषणा की है। उपर्युक्त घोषणा की अनुपालना में आयुष विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सा केन्द्रों में भी ओपीडी एवं आईपीडी सुविधायें निःशुल्क किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जाते है:–

1. विभागान्तर्गत संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों में 1 अप्रैल, 2022 से ओपीडी एवं आईपीडी की सुविधा निःशुल्क प्रारंभ की जावेगी। किसी भी प्रकार का पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी में आने वाले तथा आईपीडी में भर्ती मरीजों को समस्त दवाईयां एवं जांचे निःशुल्क प्रदान की जावेगी।
3. उपर्युक्त सुविधा राज्य के समस्त प्रदेशवासियों के लिये निःशुल्क उपलब्ध होंगी। परन्तु राज्य के बाहर से आने वाले मरीजों से नियमानुसार शुल्क लिया जावेगा।
4. मरीज के प्रदेशवासी होने के प्रमाण के रूप में मरीज का जन आधार कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज लिये जायेंगें।

उक्त आदेश दिनांक 01.04.22 से प्रभावी होंगें। प्रारंभ में एक माह की अवधि में व्यवस्था का Dry-run होगा जिसमें कियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर समाधान किया जायेगा। योजना का औपचारिक प्रारंभ 01 मई, 2022 से किया जाना प्रस्तावित है।

01.04.22

(आर.एन.शर्मा)
उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर–302033 फोन नं. 0141– 2796625 मेल–directorunani@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सामा./बजट घोषणा/2022/1689 दिनांकः– 05/04/22

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु–

1. उप शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार।
2. समस्त यूनानी विभागीय चिकित्साधिकारी/प्रभारी, राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय/केन्द्र (सीएचसी/पीएचसी/डीएच/एसडीएच)..को पालनार्थ।
3. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को देकर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करावें।
4. कार्यालय प्रति।

निदेशक